बिन्दु सं0 7 - किसी व्यवस्था की विषिष्टयां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं ।
विभाग की योजनाओं एवं कार्य-कलापों से संबंधित नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में सुझाव एवं परामर्श देने के लिए राज्य स्तर पर राज्य सैनिक परिषद (मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में) तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक परिषद (जिलाधिकारी की अध्यक्षता में) गठित है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि, निर्वाचित जन-प्रतिनिधि तथा महिलाओं एवं साधारण जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं । इन परिषदों की बैठकें समय-समय पर होती है जिसमें नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर पूर्व सैनिक सम्मेलन एवं रैलियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पूर्व सैनिकों और आम जनता के प्रतिनिधिओं से भी उक्त के सम्बंध में उपयोगी जानकारी एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते रहते है ।